

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, रॉची।

दिनांक-03वीं जनवरी 2020

सेवा में,

E. A. FRANCIS,Behind Tata Complex Colony, P.O. Gamharia,
Dist. Seraikela-Kharswan, Jharkhand.

बिषय :- मौजा—Saldih Kalikapur, प्लाट नं०-1p 52p 2p 7p 10p 6p 10/491p 8/489p
 9/490p 52/495p, खाता नं०-58 43 44 28 44 16 42 45, वार्ड नं०-00, थाना-51,
 50 गम्हरिया, जिला-सरायकेला, खरसावां में निर्मित XITE College भवन हेतु
 अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित निर्मित महाविद्यालय भवन की जाँच प्रभारी अग्निशमालय पदाधिकारी, आदित्यपुर से कराई गई। अपने ज्ञापांक-327, दिनांक-13.12.2019 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा की अनुशंसा के आलोक में निर्मित XITE College हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :—

1. निर्मित भवन परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले एक अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. अग्निशमन कार्य हेतु स्कूल के दोनों भवनों में कम से कम दस-दस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
3. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ भवनों के प्रत्येक स्टेयर कैश में वेट राईजर कम डाउन कमर सिर्टम की व्यवस्था की जाय, जिसके दोनों मुख्य स्टेयरकैश लॉबी में प्रत्येक तलों पर 63mm डाया का डिलिवरी आउटलेट एवं 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय तथा एक-एक अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
4. 450ली०/मि० क्षमता का एक-एक टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
5. 1620 Lpm क्षमता का एक बेस पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
6. समान क्षमता का एक अतिरिक्त वैकल्पिक पावर यालित पम्प रखे जाने की व्यवस्था की जाय। इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
7. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के पास 4.5 के०जी० क्षमता का दो अदद CO₂ Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
8. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाय।
9. भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के०जी० क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
10. यदि कम्प्यूटर रूम अथवा लैब हो तो उसे 4.5 के०जी० क्षमता का चार अदद Co₂ Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
11. निर्मित भवन में एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रोनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
12. परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
 - i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 06 Nos.
 - ii. Fire Bucket - 08 Nos.
 - iii. Water CO₂ Fire Extinguisher 09 Ltr- 06 Nos.
13. निर्मित भवन के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
14. सभी क्लास रूम में दो दरवाजे होना चाहिए जो बाहर की ओर खुले।
15. निर्मित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।



JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD
REGIONAL OFFICE-CUM-LABORATORY, MB/15 NEW HOUSING COLONY
ADITYAPUR, JAMSHEDPUR.
Web Site- jspcb.org/ Phone- 0657-2383241/ Fax- 0657-2383905

Ref. No:- 741

Dated: 26/07/23

From, Regional Officer
Jamshedpur.

To, The Principal
XITE College
Xite Campus Behind Tata Complex Colony,
Gamharia, Saraikela Kharsawan.

Sub: - Regarding applicability of CTE/CTO.

Sir,

With reference to the subject noted above and your letter dt- 14.07.2023 the undersigned has gone through your project for construction of educational institute having built up area measuring 2,000 Sq. Fts. As per EIA Notification dated- 14 Sept, 2006 construction Project below 20,000 Sq. mtr. does not require Environmental Clearance/CTE.

However, required approvals from other Departments shall be obtained. This is being issued on request made by you.

Yours faithfully,

JP Singh
26.07.2023
(J.P. Singh)
Regional officer.